पत्र संख्या : 7वि०शा०/स्था०व्य०–15–06/2020 ज०स०73

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/राँची/हजारीबाग/यॉ०/
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक : 22/10/2020

विषय :– वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 49S27010300107 अन्तर्गत 14 कार्यालयों को विभिन्न मदों में कुल रू 447.43 लाख (चार करोड़ सैंतालीस लाख तैंतालीस हजार मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020–21 में बजट मुख्य शीर्ष **2701– मध्यम सिंचाई** के अंतर्गत परिशिष्ट–I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701–मध्यम सिंचाई	03– मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001–निदेशन तथा प्रशासन/ 07–मध्यम सिंचाई परियोजना	**447.430**

कुल आवंटित राशि – रुपये चार करोड़ सैंतालीस लाख तैंतालीस हजार मात्र

---

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट उपबंध राशि 11675.14 लाख (एक सौ सोलह करोड़ पचहत्तर लाख चौदह हजार मात्र) के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98,1800 (वि॰) दि॰15.07.2003,1362 दि० 09.05.2016 2747(वि०) दि० 19.09.2016 के आलोक में होगा।
4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
5. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
6. कोषागार से आवंटित राशि की निकासी योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)झारखण्ड सरकार के द्वारा समय– समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जायेगा।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता की निकासी वित विभाग का पत्रांक–170 दिनांक–01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
9. वित्त विभाग के पत्रांक–29 / बी०टी०ई०–18 / 2014.–15 / 300 दिनांक–30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा ।
11. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। **अतिरिक्त आबंटन की अधियाचना के विरूद्ध आबंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आबंटन के विरूद्ध शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।**
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यापर्ण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण **Online** किया जाय। साथ ही इकाईवार पूर्ण प्रत्यापर्ण प्रतिवेदन हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke/Surrender No** का भी आवश्यक रुप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में निहित निदेश / वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल / सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2021 के पूर्व** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट **(*http://www.wrdjharkhand.nic.in)*** *पर भी उपलब्ध है।*

अनु० :– यथोक्त

20/10/20
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 73 रॉची, दिनांक :– 22/10/2020

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड पो० –हिनू,रॉची / कोषागार पदाधिकारी, रॉची / डोरंडा / देवघर / गुमला / मधुपुर / दुमका / हजारीबाग / चाईबासा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :– यथोक्त

20/10/20
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 73 रॉची, दिनांक :– 22/10/2020

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित उपायुक्त / आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग / अभियंता प्रमुख I एवं II, ज ल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता(मो०), रॉची / संयुक्त सचिव (अभि०) / उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति / कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, प्रमंडल–3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु / प्रशाखा–7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग / वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग / सांख्यकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :– यथोक्त

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव

20/10/20
(प्रशांत कुमार)
सचिव

मुख्य शीर्ष–2701–मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष–03–मध्यम सिंचाई–वाणिज्यिक
लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष–07–मध्यम सिंचाई परियोजना
मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

पत्रांक 73 दिनांक 22/10/2020 का अनुलग्नक

परिशिष्ट I

	वित्तीय वर्ष 2020–2021		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते			विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय						विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	राशि लाख रूपये में	
क्र०सं०	कार्यालय का नाम		वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल०टी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया,दरें, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड	49S27010300107 0101	49S270103001 070110	49S270103001 070112	49S270103001 070213	49S270103001 070315	49S270103001 070316	49S270103001 070323	49S270103001 070333	49S270103001 070334	49S270103001 070337	49S270103001 070442	49S270103001 070760		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	मुख्य अभि० यांत्रिक, रॉंची	पूर्व का आवंटन	28.000	0.000	0.000	0.200	0.400	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	29.200	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.700	0.000	0.300	0.200	0.000	0.900	0.700	0.000	2.800	
		कुल आवंटन	28.000	0.000	0.000	0.200	1.100	0.000	0.300	0.300	0.000	0.900	1.200	0.000	32.000	
2	जलपथ अंचल, गुमला	पूर्व का आवंटन	75.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	75.950	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.150	0.300	0.550	0.000	0.100	0.150	0.000	3.830	0.600	0.050	5.730	
		कुल आवंटन	75.000	0.000	0.150	0.500	0.850	0.000	0.100	0.200	0.000	3.830	1.000	0.050	81.680	
3	जलपथ अंचल, चाईबासा	पूर्व का आवंटन	147.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	147.950	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.150	0.300	0.550	0.000	0.200	0.000	0.000	4.000	0.600	0.100	5.900	
		कुल आवंटन	147.000	0.000	0.150	0.500	0.850	0.000	0.200	0.050	0.000	4.000	1.000	0.100	153.850	
4	रूपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, रॉंची	पूर्व का आवंटन	129.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	129.950	
		अतिरिक्त आवंटन	47.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	47.200	
		कुल आवंटन	176.000	0.000	0.000	0.200	0.500	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.000	177.150	
5	जलपथ प्रमंडल सं.–2, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	162.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	162.500	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.450	0.000	0.200	0.150	0.000	0.500	0.000	0.300	1.600	
		कुल आवंटन	162.000	0.000	0.000	0.200	0.700	0.000	0.200	0.200	0.000	0.500	0.000	0.300	164.100	
6	जलपथ प्रमंडल सं. –2,चैनपुर गुमला	पूर्व का आवंटन	128.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	128.500	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.450	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.500	0.250	1.350	
		कुल आवंटन	128.000	0.000	0.000	0.200	0.700	0.000	0.150	0.050	0.000	0.000	0.500	0.250	129.850	
7	रूपांकण प्रमंडल सं.–4, देवघर	पूर्व का आवंटन	132.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	132.450	
		अतिरिक्त आवंटन	22.020	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	22.020	
		कुल आवंटन	154.020	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	154.470	

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव

22/10/20
(प्रशांत कुमार)
सचिव

क0सं0	वित्तीय वर्ष 2020–2021		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते			विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय						विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	राशि लाख रुपये में	
	कार्यालय का नाम		वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया,दरें, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड	49S270103001070101	49S270103001070110	49S270103001070112	49S270103001070213	49S270103001070315	49S270103001070316	49S270103001070323	49S270103001070333	49S270103001070334	49S270103001070337	49S270103001070442	49S270103001070760		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	विशेष भू–अर्जन पदा0 तेनुघाट परियोजना , हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	132.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	132.750	
		अतिरिक्त आवंटन	22.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	22.000	
		कुल आवंटन	154.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	154.750	
9	विशेष भू–अर्जन पदा0, देवघर	पूर्व का आवंटन	110.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	110.800	
		अतिरिक्त आवंटन	34.480	0.000	0.000	0.800	0.450	0.000	0.200	0.150	0.000	0.300	0.200	0.200	36.780	
		कुल आवंटन	144.480	0.000	0.000	1.000	0.700	0.000	0.200	0.200	0.000	0.300	0.500	0.200	147.580	
10	विशेष भू–अर्जन पदा0 मध्यम सिंचाई परियोजना, दुमका	पूर्व का आवंटन	128.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	128.750	
		अतिरिक्त आवंटन	22.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	22.050	
		कुल आवंटन	150.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	150.800	
11	विशेष भू–अर्जन पदा0, राँची	पूर्व का आवंटन	202.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	202.800	
		अतिरिक्त आवंटन	50.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.150	50.350	
		कुल आवंटन	252.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.200	0.050	0.000	0.000	0.300	0.150	253.150	
12	सिंचाई प्रमंडल, देवघर	पूर्व का आवंटन	256.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	256.750	
		अतिरिक्त आवंटन	100.000	0.000	0.000	0.800	0.250	1.000	0.000	0.100	0.000	1.000	0.300	0.150	103.600	
		कुल आवंटन	356.000	0.000	0.000	1.000	0.500	1.000	0.000	0.100	0.000	1.000	0.600	0.150	360.350	
13	सिंचाई प्रमंडल, सिकटिया	पूर्व का आवंटन	156.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	156.450	
		अतिरिक्त आवंटन	72.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.100	0.000	0.000	4.000	0.000	0.200	76.600	
		कुल आवंटन	228.000	0.000	0.000	0.200	0.550	0.000	0.100	0.000	0.000	4.000	0.000	0.200	233.050	
14	सिंचाई यांत्रिक प्रमंड़ल, राँची	पूर्व का आवंटन	193.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	193.800	
		अतिरिक्त आवंटन	48.000	0.000	0.000	0.000	0.450	0.000	0.200	0.150	0.000	0.150	0.500	0.000	49.450	
		कुल आवंटन	241.000	0.000	0.000	0.200	0.700	0.000	0.200	0.200	0.000	0.150	0.300	0.000	242.750	
	अतिरिक्त आवंटन का योग		417.500	0.000	0.300	2.200	4.400	1.000	1.650	0.900	0.000	14.680	3.400	1.400	447.430	

नोटः वित्त विभाग के पत्रांक 11/विविध–14/2010–39/बजट दि० 04.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से विपत्रीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि– रुपये चार करोड़ सैंतालीस लाख तैंतालीस हजार मात्र

राजेन्द्र प्रसाद
उप सचिव (अभि.)

73
22/10/2020

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव

20/10/20
प्रशांत कुमार
(सचिव)